अनुदान संख्या 97 – दादरा और नागर हवेली
GRANT No. 97–DADRA AND NAGAR HAVELI

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1984,91,00		1984,93,00	1266,35,19	–718,57,81
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					695,53,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	57,44,00		80,44,00	80,40,76	–3,24
पूरक	Supplementary	23,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
क - गृह मंत्रालय	**A – Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष ''2055''	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	1682.00	1908.56	1908.12	–0.44
पु.	R.	226.56			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
घ - विद्युत मंत्रालय	**D – Ministry of Power**					
मुख्य शीर्ष ''2801''	Major Head "2801"					
बिजली	Power					
मू.	O.	180200.00				
				108705.55	106403.61	–2301.94
पु.	R.	–71494.45				
ज - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	**H - Ministry of Health and Family Welfare**					
मुख्य शीर्ष ''2210''	Major Head "2210"					
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health					
मू.	O.	1868.00				
पू.	S.	1.00		2297.34	2297.34	. .
पु.	R.	428.34				
झ - प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग	**I - Department of Elementary Education and Literacy**					
मुख्य शीर्ष ''2202''	Major Head "2202"					
सामान्य शिक्षा	General Education					
मू.	O.	3720.00				
				4133.17	4133.11	–0.06
पु.	R.	413.17				
ट - माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग	**K - Department of Secondary Education and Higher Education**					
मुख्य शीर्ष ''2202''	Major Head "2202"					
सामान्य शिक्षा	General Education					
मू.	O.	1752.00				
				1478.95	1478.90	–0.05
पु.	R.	–273.05				

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
शीर्ष	Head					
ध - शहरी विकास मंत्रालय	**S - Ministry of Urban Development**					
मुख्य शीर्ष "2217"	Major Head "2217"					
शहरी विकास	Urban Development					
मू.	O.	497.00				
पू.	S.	1.00		1497.30	1497.24	–0.06
पु.	R.	999.30				

(I) 232.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 227.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2202" - माध्यमिक शिक्षा - गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता - निजी विद्यालयों को अनुदान" के अंतर्गत सहायता अनुदान के मानदंडों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.232.00 lakhs remained wholly ununtilised under three heads; of these Rs.227.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2202" - "Secondary Education-Assistance to Non-Government Secondary School-Grants to Private Schools" - due to delay in finalization of norms of grants-in-aid.

(II) मुख्य शीर्ष "2801" - "पारेषण और वितरण - अन्य व्यय - प्रचालन और अनुरक्षण" के अंतर्गत 73809.96 लाख रु. की बचत (179330.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय विद्युत उत्पादन केंद्रों से विद्युत आहरण संबंधी केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विद्युत की खरीद न किए जाने, विद्युत की लागत में कमी आने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2801" - "Transmission and Distribution - Other Expenditure -Operation and Maintenance" - saving of Rs.73809.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.179330.00 lakhs) was due to non-purchase of power by Union Territory Administration owing to restrictions imposed by Central Electricity Regulatory Commission on drawal of power from Central Power Generating Stations, decrease in cost of power and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2202" - "माध्यमिक शिक्षा - निदेशन और प्रशासन - राजकीय माध्यमिक विद्यालय" के अंतर्गत 126.53 लाख रु. की बचत (1180.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पद न भरे जाने, कम दौरे किए जाने और कर्मचारियों से कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2202" – "Secondary Education - Direction and Administration-Government Secondary Schools" -saving of Rs.126.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1180.00 lakhs) was due to non filling up of vacant posts, less tour conducted and receipt of less medical claims from employees.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1140.97 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2010 में 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (Rs.1140.97 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs in March, 2010 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2210'' - ''लोक स्वास्थ्य - रोगों का निवारण और नियंत्रण - चिकित्सा राहत'' - 141.97 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 142.00 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2217'' - ''सामान्य - नगरपालिकाओं/ नगरपालिका परिषदों को सहायता - दादरा और नागर हवेली नगरपालिका परिषद'' - 999.00 लाख रु.।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2055'' - ''विशेष पुलिस - भारतीय रिजर्व बटालियन'' - 189.57 लाख रु. का अधिक व्यय (1078.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने और यात्रा भत्ता दावों के लंबित दावों का निपटान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2210'' - ''लोक स्वास्थ्य'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - स्थापना'' - 188.04 लाख रु. का अधिक व्यय (1239.60 लाख रु.के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित वेतन नियम, 2008 लागू किए जाने, औषधियों, लेखन सामग्री और कार्यालय उपस्करों की खरीद किए जाने, दैनिक मजदूरी की दरों में वृद्धि होने और ठेके पर रखे गए कर्मचारियों को अदायगी किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) ''अन्य व्यय - अन्य स्कीमें'' - 101.64 लाख रु. का अधिक व्यय (296.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा विभाग के लम्बित विद्युत बिलों का निपटान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''प्रारंभिक शिक्षा - निदेशन और प्रशासन - प्राथमिक विद्यालय'' - 362.42 लाख रु. का अधिक व्यय (2602.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित वेतन नियम, 2008 लागू किए

(A) Major Head "2210" - "Public Health - Prevention and Control of Diseases - Medical Relief" -Rs.141.97 lakhs. Actual excess, however, was Rs.142.00 lakhs.

(B) Major Head "2217" - "General - Assistance to Municipalities/Municipal Councils - Dadra and Nagar Haveli Municipal Council" - Rs.999.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2055" - "Special Police - India Reserve Battalion" - excess of Rs.189.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1078.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of 6th Central Pay Commission Report and to clear pending TA claims.

(B) Major Head "2210" - "Public Health"-

(a) "Direction and Administration - Establishment" - excess of Rs.188.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1239.60 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of Revised Pay Rules, 2008, purchase of medicines, stationery and office equipments, increase in rates of daily wages and payment to contractual staff.

(b) "Other Expenditure - Other Schemes" - excess of Rs.101.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.296.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear pending electricity bills of Medical Department.

(C) Major Head "2202" - "Elementary Education - Direction and Administration - Primary Schools" - excess of Rs.362.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2602.00

जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of Revised Pay Rules, 2008.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 189.12 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत और 141 प्रतिशत था।

(III) Under two heads excess of Rs.189.12 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 16 percent and 141 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, आठ मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 523.04 लाख रु. की बचत छह मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 519.80 लाख रु. के अधिक व्यय की तुलना में हुई जिसके परिणामस्वरूप कुल 3.24 लाख रु. की बचत हुई।

3. In the capital section of the grant, savings of Rs.523.04 lakhs occurred under eight major heads against excess of Rs.519.80 lakhs under six major heads resulting in overall savings of Rs.3.24 lakhs.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
ज - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	**H - Ministry of Health and Family Welfare**				
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	846.00	636.92	636.35	–0.57
पु.	R.	–209.08			
ञ - उच्चतर शिक्षा विभाग	**J - Department of Higher Education**				
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	681.00	486.87	486.87	. .
पु.	R.	–194.13			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
थ-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य शीर्ष "5054" सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	**Q - Ministry of Road Transport and Highways** Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	1509.00	1715.00	1715.01	+0.01
पु.	R.	206.00			
द-पर्यटन मंत्रालय मुख्य शीर्ष "5452" पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	**R-Ministry of Tourism** Major Head "5452" Capital Outlay on Tourism				
मू.	O.	82.00	161.07	159.56	–1.51
पु.	R.	79.07			
ध-शहरी विकास मंत्रालय मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	**S - Ministry of Urban Development** Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	193.00	418.04	418.04	. .
पु.	R.	225.04			

(I) मुख्य शीर्ष "4210" - "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - अन्य मदें" के अंतर्गत 209.65 लाख रु. की बचत (846.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नर्सिंग विद्यालय और छात्रावास के आरसीसी डिजाइन और विभिन्न स्थानों पर एएनएम उप केंद्रों के निर्माण संबंधी निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4210" - "Medical Education, Training and Research – Allopathy - Other Items" -saving of Rs.209.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.846.00 lakhs) was due to delay in finalization of RCC Design of Nursing School and Hostel and tenders for construction of ANM sub-centers at various places.

(II) मुख्य शीर्ष "4202" - "सामान्य शिक्षा - माध्यमिक शिक्षा - भवन" के अंतर्गत 130.00 लाख रु. की बचत (575.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदाओं को अंतिम रूप देने और आदर्श चुनाव संहिता लागू किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 160.10 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 47 प्रतिशत और 61 प्रतिशत थी।

4. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष "5054" - "जिला तथा अन्य सड़कें - अन्य व्यय - सड़कों तथा सेतुओं का निर्माण" - 206.01 लाख रु. का अधिक व्यय (1509.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के लंबित बिलों का निपटान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष "5452" - "पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक केंद्र - निर्माण" - 103.39 लाख रु. का अधिक व्यय (56.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्य पूरा किए जाने और होटल प्रबंधन संस्थान के लिए मशीनरी और उपस्करों की खरीद किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण - गैर-रिहायशी भवन" - 225.04 लाख रु. का अधिक व्यय (193.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर आंगनवाड़ियों के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) Under Major Head "4202" - "General Education - Secondary Education -Buildings" - saving of Rs.130.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.575.00 lakhs) was due to delay in finalization of tenders and implementation of model code of conduct for election.

(III) Under two heads savings of Rs.160.10 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 47 percent and 61 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "5054" - "District and Other Roads - Other Expenditure - Construction of Roads and Bridges" - excess of Rs.206.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1509.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear pending bills of Director General of Supplies and Disposals and Central Public Works Department.

(II) Major Head "5452" - "Tourist Infrastructure - Tourist Centre - Construction" - excess of Rs.103.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.56.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for completion of construction works and purchase of machinery & equipments for Hotel Management Institute.

(III) Major Head "4059" - "General – Construction - Non Residential Buildings" - excess of Rs.225.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.193.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for construction of Anganvadies at various places in the Territory.